न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

अपील संख्या 8/2015

1. किस्तुरी पुत्री देवाराम पत्नी बीरबलराम जाति नायक निवासी हाल19 एम डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
2. गोरा उर्फ मुन्नी पुत्री देवीराम पत्नी आसुराम जाति नायक निवासी हाल19 एम डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
3. शांति पुत्री देवीराम पत्नी रामचन्द जाति नायक निवासी 19 एम डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट्स

बनाम

1. किशनाराम
2. किरताराम
3. दुलीचन्द

} अकवाम नायक निवासीगण अबोहरीया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा. का. अ 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

दिनांक 02.12.2014

उपस्थितिः—

श्री जगमोहन आहूजा, अभिभाषक अपीलांट

श्री बलकरणसिंह बराड अभिभाषक रेस्पो0

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 16.08.17

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 1 से 3 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ.की धारा 212 रा. का. अ. का पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता को चक 12 बीजीएस में 25 बीघा भूमि आवंटन हुई थी जो मु. नं. 47 के कि. नं. 1 ता 25 में दर्ज है एवं खातेदार मिल चुकी है । प्रार्थीगण के पिता व प्रतिवादीगण की पहली माता जीवनी की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 जायज वारिस हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को उक्त भूमि में प्रत्येक का 2/1–2 बीघा हक बनता है । अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का नाम जमाबंदी में आ जाने के कारण उनके मन में बेइमानी आ गई है एवं वे भूमि को आगे बेचान करना चाहते हैं। यदि ऐसा करने में वे सफल हो गए तो वादी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 17.06.2013 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2014 से पुष्ट कर दिया । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वकील अपीलांट की बहस सुनी गई एवं वकील रेस्पो. ने पैरवी की हिदायत नहीं होने का कथन किया ।

वकील अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

प्रकरणहाजा की पत्रावली की सरबरक में रेस्पो. अभिभाषक द्वारा No instuction का नोट अंकित जाहिर किया है। चूंकि अपीलार्थीगण एवं रेस्पो. देवा राम के वारिस हैं एव मामला पारिवारिक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का निर्णय दिनांक 02.12.2014 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर